RCT NO. 2107/13
State Vs Varsha Jain & Oth.

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर
(समक्ष : श्रीमती रूचि सगर)

आप.प्र.क.2107 / 13
फाईलिंग नं.–3346 / 13
सीएनआर नं.–0745 / 13
संस्थित दिनांक–13.08.13

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली
जिला नरसिंहपुर म0प्र0

........अभियोजन

विरूद्ध

1. वर्षा पत्नी अनुभव जैन, आयु 49 वर्ष
2. पूनम पत्नी सुलभ जैन, आयु 48 वर्ष
3. रचना पत्नी वैभव जैन, आयु 40 वर्ष
4. स्वर्णप्रभा पत्नी महेन्द्रचंद जैन, आयु 76 वर्ष, (मृत)

निवासीगण रामवार्ड, नरसिंहपुर
थाना, तह0 व जिला नरसिंहपुर

........अभियुक्तगण

....

पुलिस थाना–कोतवाली, तहसील व जिला नरसिंहपुर के अप.क.920 / 13 अपराध अंतर्गत धारा–448,294,323 / 34 भा.दं.सं.1860 से उद्भूत प्रकरण।

....

निर्णय

(दिनांक 05.09.2019 को घोषित)

01. अभियुक्तगण पर भा.द.स. की धारा–448, 294, 323 / 34, भा0दं0सं0 के अन्तर्गत ये आरोप है कि दिनांक 22.07.13 को समय दोपहर करीब 1.30 बजे रामवार्ड, जैन मंदिर के सामने क्षेत्रांतर्गत आरक्षी केन्द्र कोतवाली में

फरियादी आकांक्षा के आंगन में जो साधारणतया मानव निवास के काम में आती है, में फरियादी को अभित्रस्त कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृहअतिचार किया तथा फरियादी को लोकस्थान पर या समीप अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे फरियादी व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी आकांक्षा के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि फरियादी ने थाने में उपस्थित होकर बताया कि दिनांक 22.07.13 को दोपहर करीब 1.30 बजे जब वह घर पर थी तो अभियुक्त स्वर्णप्रभा ने उपर से कचरा फेंका जो फरियादी के सिर पर जाकर लगा और फरियादी के मना करने पर अभियुक्तगण ने उसे गंदी गंदी गालियां दी और घर के आंगन में आकर हाथ मुक्का से मारपीट कर बाल पकडकर पटक दिया जिससे सिर में चोट आई। उपरोक्त सूचना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये, अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया, समुचित आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

03. अभियुक्तगण को निर्णय की कण्डिका 1 में वर्णित आरोप पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया और विचारण चाहा। धारा–313 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने का स्वयं को निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाया जाना बताया।

04. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1. ''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 22.07.13 को समय दोपहर करीब 1.30 बजे रामवार्ड, जैन मंदिर के सामने क्षेत्रांतर्गत आरक्षी केन्द्र कोतवाली में फरियादी आकांक्षा के आंगन में जो साधारणतया मानव निवास के काम में आती है, में फरियादी को अभित्रस्त कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृहअतिचार किया?

2. ''क्या अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को लोकस्थान पर या समीप अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे फरियादी व अन्य

सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

3. ''क्या अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी आकांक्षा के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित?

4. ''दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 3

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित एवं अंतर्मिश्रित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक साथ निराकृत किए जा रहे हैं।

05. इस संबंध में फरियादी आकांक्षा (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया कि वह अभियुक्तगण को पहचानती है, घटना एक वर्ष पूर्व की होकर दिन के डेढ दो बजे उसके घर के आंगन की है, जब वह आंगन में थी तभी अभियुक्त स्वर्णप्रभा ने उसके उपर कचरा फेंका और जब उसने कचरा फेंकने से मना किया तब अभियुक्त ने उसे गंदी गंदी गालियां दी और उसके पश्चात सभी अभियुक्तगण आंगन में आ गए और उसके साथ लात घुसों से मारपीट की और उसके बाल पकडकर दिवार में सिर मारा तब उसकी आवाज सुनकर उसकी मां और बहन आ गए और बीच बचाव करने पर अभियुक्त स्वर्णप्रभा वहां से भागने लगी तब पैर मोटर में फंसने के कारण सीडी पर गिर गई जिससे सिर में चोट आ गई और साक्षी आकांक्षा ने कहा कि मारपीट में उसके सिर में चोट पर व हाथ पर नाखून की खरोचे थी जिसके पश्चात उसने घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र कोतवाली में लेख कराई जो प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा पुलिस ने नक्शामौका प्र.पी.03 उसके समक्ष बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

06. साक्षी मालती अ.सा.03ने न्यायालयीन साक्ष्य में फरियादी आकांक्षा अ.सा.02 की साक्ष्य का समर्थन कर घटना दिनांक को अभियुक्त स्वर्णप्रभा द्वारा कचरा फेंकना और उसकी बेटी व स्वर्णप्रभा की आपस में बहस होना तथा सभी अभियुक्तगण द्वारा आंगन में आकर फरियादी आकांक्षा को गंदी गंदी गालियां

देकर झूमाझपटी करना बताया है। साक्षी मालती ने बताया कि अभियुक्त स्वर्णप्रभा का भागते समय सीडियों पर लगे गेट की चौखट पर गिरना बताया है। साक्षी मालती ने अभियोजन के सुझाव को स्वीकार किया कि अभियुक्त स्वर्णप्रभा ने कचरा फेंका था जो फरियादी आकांक्षा के सिर पर गिरा था और अभियुक्तगण ने मिलकर फरियादी आकांक्षा के साथ मारपीट की थी।

07. साक्षी संतोष कुमार सेन अ.सा.04 ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया कि दिनांक 22.07.13 को आरक्षी केन्द्र कोतवाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी के बताए अनुसार घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था और साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए तथा अभियुक्तगण को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी.04 लगायत 07 तैयार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटनास्थल का नक्शामौका जो फरियादी के बताए अनुसार बनाया था, उसमें फरियादी और अभियुक्तगण एक ही मकान में उपर नीचे रहते हैं और दोनों पक्ष के आंगन में उपर जाने की सीढी है और विवाद मकान के अंदर आंगन का है और यह स्वीकार किया कि आंगन फरियादी या अभियुक्त का निजी या प्राइवेट है, इस संबंध में फरियादी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और यह स्वीकार किया कि फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कथन में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि किस अभियुक्त ने कहां, क्या क्या मारा और किस चीज से चोट आई।

08. साक्षी आकांक्षा ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि जहां की वह घटना बता रही है उसके उपर अभियुक्तगण रहते है और घटनास्थल से अभियुक्तगण के घर में जाने के लिए सीढी है और उपर जाने वाली सीढी पर अभियुक्तगण के नल की मोटर लगी है जिसकी पुष्टि साक्षी मालती के प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 4 की पंक्ति 6 व 7 से होती है। साक्षी आकांक्षा ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को वह गंदी गंदी गालियां देकर जोर से चिल्ला रही थी जिससे अभियुक्तगण आ गए थे और अभियुक्तगण की पानी की मोटर को उठाकर पटक दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्त स्वर्णप्रभा की आयु 75 वर्ष है और उसकी आयु 35 वर्ष है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अभियुक्तगण ने उसका साथ गाली गलौच और मारपीट नहीं की और इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की थी कि घटनास्थल का बटवारा हुआ है या नहीं।

09. साक्षी मालती ने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया कि

कचरा फेंकते समय वह मौके पर उपस्थित नहीं थी और न ही उसने कचरा फेंकते हुए देखा और कहा कि अभियुक्त स्वर्णप्रभा ने कचरा गेट के पास से फेंका था और आकांक्षा आंगन में सीढी के पास थी। साक्षी मालती की न्यायालयीन साक्ष्य एवं पुलिस कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रसं. में आए विरोधाभाष के संबंध में पूछे जाने पर साक्षी मालती ने ऐसा बताया कि उसने पुलिस को कथन देते समय आकांक्षा का काम से आंगन में आना, अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ झूमाझपटी करना और अभियुक्त स्वर्णप्रभा का चौखट पर गिरना बता दिया था किंतु यह कि उक्त तथ्य पुलिस कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रसं. में उल्लेखित नहीं है। साक्षी मालती ने इस बात से इंकार किया कि उसकी लडकी ने आंगन में रखी अभियुक्तगण की मोटर तोड दी थी।

10. यह कि गृहअतिचार से आशय किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में, जो मानव निवास, संपत्ति की अभिरक्षा या उपासना स्थल के उपयोग में आता है, प्रवेश कर या बना रहकर किसी व्यक्ति को अपमानित या अभित्रस्त या क्षुब्ध करे तब वह आपराधिक अतिचार गृहअतिचार कहलाता है। यह कि अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य एवं घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.03 जिसमें घ टनास्थल को ए से चिन्हित किया गया है, आंगन है और उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि फरियादी और अभियुक्तगण एक ही मकान में उपर नीचे निवास करते हैं और घटना स्थल से ही अभियुक्तगण का उपर जाने के लिए सीढियां बनी हुई हैं एवं प्रकरण के विवेचक संतोष कुमार सेन ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्टतः बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार किया है कि फरियादी ने उसे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह दर्शित होता हो कि घटनास्थल आंगन फरियादी या अभियुक्त का निजी अथवा प्राइवेट है और फरियादी आकांक्षा प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 8 की पंक्ति 2 में इस बात से अनभिज्ञता प्रकट करती है कि घटनास्थल का बंटवारा हुआ है या नहीं। अतः उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जिस आंगन में फरियादी एवं साक्षी अभियुक्तगण का प्रवेश कर उन्हें अपमानित, अभित्रस्त या क्षुब्ध कर गृहअतिचार कारित करना बताती है, उक्त आंगन में से ही अभियुक्तगण का जाने का रास्ता है और इस प्रकार से उक्त आंगन अर्थात् घटनास्थल मात्र फरियादी के आधिपत्य की संपत्ति नहीं कही जा सकती। अतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 448 भादसं. को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

11. यह कि फरियादी आकांक्षा एवं साक्षीगण द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में मात्र अभियुक्तगण द्वारा गंदी गंदी गालियां दिया जाना बताया है किन्तु

साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण द्वारा दी गई गालियों के परिणामस्वरूप उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ हो के संबंध में साक्ष्य का अभाव है। अतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294 भादसं. के संबंध में उसके महत्वपूर्ण घटक को प्रमाणित करने में असफल रहा है।

12. यह कि फरियादी आकांक्षा एवं साक्षी मालती के द्वारा घटना दिनांक को आहत आकांक्षा को चोट आने के संबंध में स्पष्ट बताया है और फरियादी एवं साक्षीगण के द्वारा उनकी न्यायालयीन साक्ष्य में घटना दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया मारपीट किया जाना और मारपीट में उपहति कारित होने के संबंध में, चिकित्सक आर.एम.मिश्रा (अ.सा.4) ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया कि दिनांक 22.07.13 को जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आहत आकांक्षा के चिकित्सीय परीक्षण में माथे के बीचोबीच कंट्यूजन व दाहिनी रिंग फिंगर पर एबरेजन था, आहत का चिकित्सीय प्रतिवेदन प्र.पी.01 है। प्रकरण में फरियादी आकांक्षा, साक्षी मालती एवं चिकित्सक आर.एम.मिश्रा की न्यायालयीन साक्ष्य तथा आहत आकांक्षा के चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.1 से आहत आकांक्षा को घटना दिनांक को चोटें कारित होने की पुष्टि होती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आहत को घ ाटना दिनांक को चोटें कारित हुई थी।

13. साक्षी चिकित्सक आर.एम.मिश्रा (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत को कारित चोटे स्वयं कारित की जाने की संभावना है, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की ओर से अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आहत आकांक्षा के द्वारा किस प्रकार से स्वयं को चोट कारित की गई एवं बचाव पक्ष की ओर से अभिलेख पर ऐसा कोई कारण एवं साक्ष्य भी प्रकट नहीं किया गया कि क्यों आहत आकांक्षा अभियुक्त को फंसाये जाने के उद्देश्य मात्र से अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करेगी और साक्षीगण आकांक्षा एवं मालती ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्तगण ने उन्हें चोट कारित नहीं की। यह कि जहां तक उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने का बिंदु विद्यमान है तब इस संबंध में फरियादी एवं साक्षीगण द्वारा अपनी अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति को प्रमाणित किया गया है एवं अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के परिणाम स्वरूप चोट कारित होना स्पष्टतः बताया गया है और फरियादी एवं साक्षीगण की साक्ष्य अभियुक्तगण द्वारा

मारपीट किये जाने के संबंध में प्रतिपरीक्षण में अखंडनीय रही है।

14. यह कि घटना दिनांक 22.07.13 को दिन के 1.30 बजे की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.07.13 को 2.35 बजे लेखबद्ध कराई गई है और उक्त दिनांक को ही आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है, जिसमें आहत को कारित चोटें पिछले 24 घंटे के भीतर कारित होना उल्लेखित है जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि आहत को दिनांक 22.07.13 को चोटें कारित हुई थीं और अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षण में आहत को चोटें कारित न किये जाने के संबंध में कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

15. यह कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी फरियादी आकांक्षा एवं मालती के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा आकांक्षा को मारपीट में चोट कारित किया जाना बताया है और जिसकी पुष्टि साक्षीगण के पूर्वतन् कथनों एवं चिकित्सीय प्रतिवेदन तथा चिकित्सक की साक्ष्य से होती है। यह कि अभियक्तगण द्वारा किया गया अपराध उन साधनों द्वारा कारित किया गया है जिसे करने का उसे आशय था या विश्वास करने का कारण था कि उससे अपराध कारित होना संभाव्य है और वह उसके परिणाम से भलीभांति परिचित था।

16. अतः अभियुक्तगण यह जानते थे कि यदि वह फरियादी आकांक्षा के साथ मारपीट करेगे तो निश्चित ही उसे चोट कारित होगी तब यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा आशयपूर्वक एवं विश्वास करने का कारण रखते हुए आहत आकांक्षा के साथ स्वेच्छया उपहति कारित की गई। यह कि सामान्य आशय के संबंध में पृथक से साक्ष्य आने की आवश्यकता नही है बल्कि अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य एवं अभियुक्तगण के आचरण से इस संबंध में निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है, चूंकि उपरोक्त साक्ष्य एवं अभियुक्तगण के आचरण से स्पष्ट है कि उनके द्वारा एकराय होकर अपराध कारित किया गया। अतः अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य से अभियुक्तगण का सामान्य आशय प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत आकांक्षा के साथ मारपीट की गई है। अतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–323/34 भा.दं.सं. के तथ्य युक्ति संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

17. अतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–448, 294,भा.दं.सं.के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य लाने में असफल रहा है, किन्तु अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34 भादसं. के संबंध में

पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

दोषसिद्धि एवं दण्डादेश

विचारणीय प्रश्न कमांक 4

18. यह कि उपरोक्त विवेचना एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 22.07.13 को समय दोपहर करीब 1.30 बजे रामवार्ड, जैन मंदिर के सामने क्षेत्रांतर्गत आरक्षी केन्द्र कोतवाली में फरियादी आकांक्षा के आंगन में जो साधारणतया मानव निवास के काम में आती है, में फरियादी को अभित्रस्त कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृहअतिचार किया तथा फरियादी को लोकस्थान पर या समीप अश्लील शब्द उच्चारित किये जिससे फरियादी व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं अन्य सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित। फलतः **अभियुक्तगण वर्षा, पूनम, रचना** को **धारा–448, 294 भा.दं.सं** के अंतर्गत अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

19. यह कि उपरोक्त विवेचना एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 22.07.13 को समय दोपहर करीब 1.30 बजे रामवार्ड, जैन मंदिर के सामने क्षेत्रांतर्गत आरक्षी केन्द्र कोतवाली में फरियादी आकांक्षा को अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित। फलतः **अभियुक्तगण वर्षा, पूनम, रचना को 323/34 भा.दं.सं के अंतर्गत दोषसिद्ध** किया जाता है।

20. अभियुक्तगण वर्षा, पूनम, रचना ने जिस प्रकार एकराय होकर फरियादी के साथ मारपीट की है तब न्यायालय के मत में अभियुक्तगण के अपराध की प्रकृति को देखते हुए अपराधी परीविक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान का लाभ देना उचित नहीं हैं।

21. अतः प्रकरण की परिस्थितियॉ तथा अभियुक्तगण द्वारा जिस

प्रकार से फरियादी के साथ मारपीट की गई है। अतः अभियुक्तगण के कृत्य एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायालय उचित पाता है। दण्ड पर विचार किया गया।

क्रं.	अभियुक्त का नाम	धारा एवं अधिनियम	कारावास और उसकी प्रकृति	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड अदा न करने पर कारावास
01	**वर्षा पति अनुभव जैन**	323/34 भा.द.सं.	न्यायालय उठने तक का करावास	500/—	30 दिवस
02	**पूनम पति सुलभ जैन**	323/34 भा.द.सं.	न्यायालय उठने तक का करावास	500/—	30 दिवस
03	**रचना पति वैभव जैन**	323/34 भा.द.सं.	न्यायालय उठने तक का करावास	500/—	30 दिवस

22. अभियुक्त द्वारा **अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम करने की दशा में <u>अभियुक्तगण वर्षा, पूनम, रचना को</u> 30—30 दिवस का अतिरिक्त** कारावास भुगताया जाये।

23. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का अभाव है।

24. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके धारा 437'ए'दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 6 माह पश्चात् स्वतः उन्मोचित समझे जावें।

25. अभियुक्तगण द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि का प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द0प्र0स0 का तैयार किया जावे, जो निर्णय का भाग होगा।

26. प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में विधिवत अभिलेखागार को प्रेषित हो।

खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

सही/–
श्रीमती रूचि सगर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नरसिंहपुर म0प्र0

सही/–
श्रीमती रूचि सगर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नरसिंहपुर म0प्र0